न्यायालय :– सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

CIS Registration No. BA/206/2025

सईद पिता जमील खान,
आयु–30 वर्ष, धंधा–मजदूरी,
निवासी–मदरगेट, तोपखाना, उज्जैन

– – – – आवेदक

// विरूद्ध //

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र भैरवगढ़
जिला उज्जैन (म.प्र.)

– – – – – अनावेदक

(जमानत आदेश आज दिनांक 17/02/2025 को पारित)

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के अवकाश पर होने से जमानत आवेदन–पत्र मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/अभियुक्त सईद की ओर से श्री अनिल बडगोत्या अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री मुकेश जैन अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्त सईद के जमानत आवेदन के संबंध में थाना भेरूगढ़ से अपराध क्रमांक 38/2025, अंतर्गत धारा 331 (4), 305 भारतीय न्याय संहिता की केस डायरी मय पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त।

अभियुक्त सईद की ओर से दिनांक 14.02.2025 को पेश जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0ना0सु0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

केस डायरी व पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

धारा 483 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त सईद की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन–पत्र होना बताया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 09.02.2025 को फरियादी रविन्द्र उर्फ शांतिनाथ द्वारा थाना भैरूवगढ़ जिला उज्जैन पर आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह गेहरेपीर की समाधि पर पूजापाठ का काम करता है और समाधि के पास ही रहने के लिये झोपडी बना रखी है तथा समाधि पर एक दानपेटी रखी है, जिसमें पूजापाठ करने वाले लोग रूपये दान करते है। दिनांक 09.02.2025 को रात्रि करीबन 1:00–1:30 बजे के मध्य वह अपनी झोपडी में भजन कर रहा था। उसे खटखट की आवाज आई तो उसने झोपडी से बाहर देखा वहां पर एक व्यक्ति जो गेहरेपीर की समाधि की दान पैटी के ताले को लोहे के सरिये से तोडकर पेटी में रखे रूपये चोरी कर रहा है। उसने झोपडी में से आवाज लगाई तो वह व्यक्ति वहां से रूपये चोरी कर भाग गया। उसने दान पेटी के पास जाकर देखा तो पेटी का ताला टुटा हुआ था और पेटी में रखे रूपये नहीं है। उसने घटना की जानकारी अपने गुरू महावीर नाथ को दी। तत्पश्चात् मुखबिर सूचना के आधार पर आवेदक/अभियुक्त सईद पिता जमील को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके आधिपत्य से चोरी के रूपये जप्त किये गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध क्रमांक 38/2025 धारा 331(4), 305 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

आवेदक/अभियुक्त सईद की ओर से उसके अभिभाषक द्वारा यह कहा गया कि आवेदक निर्दोष है। उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक पर आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दंडनीय

नहीं है। आवेदक मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसे प्रतिभूति पर रिहा किया गया तो वह आदेशों का पालन करेगा। आवेदक उज्जैन का स्थायी निवासी है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अतिरिक्त अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अभियुक्त के जमानत आवेदन–पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने रात्रि में पूजा स्थल पर जाकर दानपेटी तोडकर उसमें रखी हुई राशि की चोरी की। विवेचना के दौरान आरोपी के आधिपत्य से 1100/– रूपये राशि तथा लोहे का सरिया जप्त किये गये। केस डायरी में संलग्न रिकार्ड अनुसार आरोपी के विरूद्ध इस मामले के अतिरिक्त 10 अन्य मामले पंजीबद्ध रहे हैं, जिनमें से पूर्व में 3 मामले आयुध अधिनियम से संबंधित रहे है तथा एक मामला चोरी से संबंधित रहा है। आवेदक के आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं समझती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र **'निरस्त'** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति अपराध क्रमांक 38/2025 की केसडायरी के साथ संलग्न कर थाना प्रभारी, भैरवगढ़, जिला उज्जैन को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

जमानत प्रपत्र परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजे जावे।

सही/–
(सुनील कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश , उज्जैन
वास्ते–सत्र न्यायाधीश, उज्जैन